अतिआवश्यक
राजकीय ई–मेल

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.15(8)2023 / कार्मिक–स्ट्रेन्थ / प्रमुवसं–08198 / 4809-34 दिनांक : 15/09/23

निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक / कार्य आयोजना एवं वन वन्दोबस्त / ट्री राज. जयपुर।
परियोजना निदेशक, राज. वानिकी एवं जैव विविधता परियो.–II, राज. जयपुर ।
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन.टी.एफ.पी. / अरावली वृक्षारोपण परियोजना राज.जयपुर।
निदेशक,राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान, राज. जयपुर।
उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर।
मुख्य वन संरक्षक, जयपुर / उदयपुर / भरतपुर / बीकानेर / जोधपुर / अजमेर / कोटा।
मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव जयपुर / उदयपुर / जोधपुर।
मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, सरिस्का, अलवर, / रणथम्भौर, सवाईमाधोपुर / मुकन्दरा, कोटा।
मुख्य वन संरक्षक, आर.वी.पी.कोटा / एफ.पी.आर. परियोजना जयपुर / विभागीय कार्य जयपुर।
मुख्य वन संरक्षक वन वर्धन, जयपुर।
उप वन संरक्षक (संस्थापन–राजपत्रित), प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर।

विषयः– आगामी वित्तीय वर्ष 2024–2025 के लिए आय–व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए संशोधित अनुमान (एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में) नियमित, स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदो का विवरण अद्य तन करने के संबंध में।

प्रसंगः– वित्त (आय–व्ययक) विभाग राजस्थान सरकार का बजट परिपत्र क्रमांक प. 4(18)वित्त–1(1) आ.व्यय / 2023 दिनांक 31.08.2023 एवं वित्तीय सलाहकार, वन विभाग राजस्थान जयपुर के यू. ओ. नोट क्रमांक 4896 दिनांक 13. 09.2023 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक बजट परिपत्र वित विभाग राज्य सरकार की वैबसाईट का अवलोकन करें। उक्त बजट परिपत्र के बीएफसी रिपोर्ट 1 में नियमित / स्वीकृत पदों का विवरण दिये गये है, जो कि Sanction Module/पे–मेनेजर पर पदों का नियमित रूप से अद्यतन होकर IFMS पर स्वतः दर्शित होगी। इस सम्बंध में सभी कार्यालय IFMS पर स्वीकृत पदों एवं पे–मेनेजर पर उपलब्ध पदों को सही से मिलान करना सुनिश्चित करें।

राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार आपके कार्यालय एवं आपके अधिनस्थ कार्यालयों की संकलित सूचना तैयार की जाकर प्रपत्र–1 अ, ब, एवं बीएफसी रिपोर्ट 1, इस कार्यालय में **2 दिवस** के भीतर (ई–मेल – dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in) दिनांक **18.09..2023** तक भिजवाना सुनिश्चित करावें, ताकि विभाग की संकलित सूचना ऑन लाईन (**IFMS**) की जाकर राज्य सरकार को भिजवाई जा सकें।

(1 सितम्बर –2023 की स्थिति अनुसार)

1	प्रपत्र–1–अ	स्वीकृत रिक्त पदो के विरूद्ध विभाग में कार्यरत अन्य कार्मिकों का विवरण।
2	प्रपत्र–1–ब	विभाग में संविदा पर नियोजित कार्मिकों का विवरण।
3	बीएफसी रिपोर्ट 1	नियमित / स्वीकृत पदों का विवरण (बीएफसी रिपोर्ट 1)

पे–मेनेजर पर अद्यतन सूचना में किसी प्रकार की त्रुटि होने से बीएफसी रिपोर्ट 1 की IFMS पर स्वतः अद्यतन सूचना गलत आती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय की होगी।

संलग्नः– उक्तानुसार

भवदीय,

(राजीव चतुर्वेदी)
मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन)
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ.15(8)2023 / कार्मिक–स्ट्रेन्थ / प्रमुवसं / 4835-39 दिनांक : 15/09/23

प्रतिलिपि समस्त उप वन संरक्षक / भू–संरक्षण अधिकारी / वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी / कार्य आयोजना अधिकारी / वन बंदोबस्त अधिकारीगण को प्रेषित कर लेख है कि आप निर्धारित समय सीमा में IFMS पर स्वीकृत पदों एवं पे–मेनेजर पर उपलब्ध पदों को सही से मिलान कर सूचना तैयार कर ऑन लाईन (**IFMS**) की जाकर प्रपत्र–1 अ, ब, एवं बीएफसी रिपोर्ट 1 में उपरोक्त सूचना अपने नियंत्रण अधिकारी को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (संस्था.राज.प्रशा.)
राजस्थान जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Rajiv Chaturvedi
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.09.15 15:17:19 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 4727078

प्रपत्र-1 (अ)

स्वीकृत रिक्त पदों के विरूद्ध विभाग में कार्यरत अन्य कार्मिकों का विवरण

कार्यालय/विभाग का नाम..बी.एफ.सी. ईकाई का नाम...कोड संख्या........................ (राशि सहस्त्र में)

क्रम संख्या	लेखे का शीर्ष- मुख्य शीर्ष-उप मुख्यशीर्ष-लघु शीर्ष-उप शीर्ष-ग्रुप शीर्ष	राज्य निधि/केन्द्रीय सहायता	पद नाम	पे-लेवल	रिक्त पदों की संख्या	नियुक्ति का प्रकार	संख्या	वार्षिक वित्तीय भार (राशि सहस्त्र में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1 कार्मिक विभाग के परिपत्र के अनुसार 2 पुनर्नियुक्ति (Pay Minus Pension) 3 guest faculty		

नोट: 1.ऑनलाईन प्रविष्टि (Entry) उन्हीं बजट शीर्षो में उपलब्ध होगी, जो बी.एफ.सी. रिपोर्ट–1 में अंकित हैं।

2.ऑनलाईन प्रविष्टि (Entry)के लिए कॉलम 2,3, 4, 5 तथा 6 बी.एफ.सी. रिपोर्ट–1 से एवं कॉलम 7, 8 तथा 9 Pay Manager में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर स्वत दर्शित होंगे, जिसकी बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा जांच/सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। इसे अद्यतन किया जा सकता है।

बजट नियंत्रण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा समस्त प्रविष्टियों की जांच कर निम्नानुसार प्रमाण पत्र अंकित किया जाना है।
प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जॉच कर ली गई है, इसे सही पाया गया है।

बजट नियंत्रण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष

प्रपत्र-1 (ब)

विभाग में संविदा पर नियोजित कार्मिकों का विवरण

कार्यालय/विभाग का नाम..बी.एफ.सी. ईकाई का नाम...कोड संख्या...................... (राशि सहस्त्र में)

क्रम संख्या	लेखे का शीर्ष - मुख्य शीर्ष-उप मुख्यशीर्ष-लघु शीर्ष-उप शीर्ष-ग्रुप शीर्ष	नियुक्ति का प्रकार	राज्य निधि/ केन्द्रीय सहायता	पद नाम	संख्या	वार्षिक वित्तीय भार (राशि सहस्त्र में)
1	2	3	4	5	6	7
		1. राजस्थान संविदा कर्मचारी नियम 2022 के अन्तर्गत				
		2. RTPP के अन्तर्गत संविदा पर नियोजन				

नोट: 1. ऑनलाईन प्रविष्टि (Entry) के लिए कॉलम 2 में बजट शीर्ष का चयन करना होगा। कॉलम 2 में वे बजट शीर्ष ही दर्शित होंगे, जो विभाग के नियंत्रणाधीन हैं।

2. कॉलम 3 में नियुक्ति का प्रकार तथा कॉलम 4 में राज्य निधि एवं केन्द्रीय सहायता में से किसी एक का चयन करना होगा।

3. कॉलम 5, 6 एवं 7 मे बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रविष्टि की जानी है।

बजट नियंत्रण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा समस्त प्रविष्टियों की जांच कर निम्नानुसार प्रमाण पत्र अंकित किया जाना है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना की मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से जॉच कर ली गई है , इसे सही पाया गया है।

बजट नियंत्रण अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष